न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 203/2018 निर्णय दिनांक :– 4-8-19

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

....वादी

<u>बनाम</u>

1. रामेश्वर पि. मु. श्री रामनारायण

2. रामप्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर

3. कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामेश्वर

4. बद्रीनारायण पुत्र श्री रामेश्वर

5. गीता पुत्री श्री रामेश्वर

6. विमला पुत्री श्री रामेश्वर

7. संतोष पुत्री श्री रामेश्वर

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 ।

8. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0 ।

——प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी ने वाद निम्न प्रकार पेश किया :–

वादी की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खाता संख्या 513 के खसरा नम्बर 707 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.07 है0 , खसरा नम्बर 712 रकबा 0.36 है0 खसरा नम्बर 713 रकबा 0.14 है0 , खसरा नम्बर 715 रकबा 0.27 है0 , खसरा नम्बर 724 रकबा 0.08 है0 , खसरा नम्बर 725 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 787 रकबा 0.49 है0 , खसरा नम्बर 796 रकबा 0.35 है0 , खसरा नम्बर 887 रकबा 0.70 है0 , खसरा नम्बर 892 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 923 रकबा 0.25 है0 , खसरा नम्बर 924 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 1003/3794 रकबा 0.08 है0 , खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.43 है0 , खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.03 है0 ,खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.10 है0 , खसरा नम्बर 1077 रकबा 0. 06 है0, खसरा नम्बर 1078 /3796 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 2852 रकबा 0.24 है0 , खसरा नम्बर 2853 रकबा 0.13 है0 , खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.32 है0 , खसरा नम्बर 2855 रकबा 0.23 है0 , खसरा नम्बर 2858 रकबा 0.37 है0 , खसरा नम्बर 2859 रकबा 0. 39 है0 , खसरा नम्बर 2862 रकबा 1.08 है0 , खसरा नम्बर 2881 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2[illegible] कुल रकबा 6.99 है0 वाके ग्राम तितरिया पटवार हल्का तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसको ही इस वादपत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 1 रिश्ते में वादी के सगे पिता है तथा प्रतिवादी नं. 2 लगायत 04 वादी के सगे भाई व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादी नं. 05 लगायत 07 वादी की सगे बहिने है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 वर्तमान में प्रतिवादी नं. 02 लगायत 07 के बहकावे में है वो आये दिन पैतृक आराजी भूमि को बेचान करने की फिराक में रहते है तथा प्रतिवादी नं. 02 लगायत 07 प्रतिवादी नं. 01 से उक्त आराजी भूमि पर के. सी. सी. लेकर राशि हडप करना चाहते है तथा प्रतिवादीगण आपस में मिलकर वादी को वादी के हक व हिस्से से बेदखल करना चाहते है तथा इतना ही नही उपेक्षापूर्ण व्यवहार के चलते आये दिन विवादित आराजी को पैतृक होते हुये भी बेचान करने की धमकी देते है तथा वादी को उसके बैधानिको अधिकारों से महरुम करने पर उतारु रहते है। वादी वादग्रस्त आराजी पर अपने हक व हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11/07/2019 को मय दीगर व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त आराजी पर आये और कहने लगे कि उक्त सम्पूर्ण आराजी भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की सम्पूर्ण जमीन का बेचान करके रहेंगे तब वादी ने बहुत समझाया परन्तु प्रतिवादीगण नही माने तथा आवेश में आकर सरेआम वादी से मारपीट करने लग गये तथा जाते जाते कहकर गये कि जमीन का किसी के भी हक में इकरारनामा करके रहेंगे। जमीन बेचकर तुम्हे बेदखल करवाकर रहेंगे। वादी को यह आवश्यक हो गया कि वह विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम हक व हिस्से में से 1/8 भाग की खातेदारी घोषणा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा दे कि वो वादी के उपयोग उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

में मजाहमत बैजा नही करे , वादी को जबरन बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य को रहन , दान , बेचान व अन्य हस्तानान्तरण नहीं करे , के. सी. सी. नही ले। दावे के लिये वाद हैतुक दिनांक 11/07/2019 को प्रतिवादीगण द्वारा दीगर व्यक्तियों को लेकर आराजी पर आने और बेचान के लिये दिखाने पर तथा सरेआम धमकियां देने उत्पन्न हुआ जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार हासिल है। प्रतिवादी संख्या 8 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है इनके खिलाफ दावे में कोई रिलीफ नही चाही गई है। दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिग्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 53 के आराजी खाता संख्या 513 के खसरा नम्बर 707 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.07 है0 , खसरा नम्बर 712 रकबा 0.36 है0 खसरा नम्बर 713 रकबा 0.14 है0 , खसरा नम्बर 715 रकबा 0. 27 है0 , खसरा नम्बर 724 रकबा 0.08 है0 , खसरा नम्बर 725 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 787 रकबा 0.49 है0 , खसरा नम्बर 796 रकबा 0.35 है0 , खसरा नम्बर 887 रकबा 0.70 है0 , खसरा नम्बर 892 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 923 रकबा 0.25 है0 , खसरा नम्बर 924 रकबा 0.34 है0 , खसरा नम्बर 1003/3794 रकबा 0.08 है0 , खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.43 है0 , खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.03 है0 ,खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.10 है0 , खसरा नम्बर 1077 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1078 /3796 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 2852 रकबा 0.24 है0 , खसरा नम्बर 2853 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

13 है0 , खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.32 है0 , खसरा नम्बर 2855 रकबा 0.23 है0 , खसरा नम्बर 2858 रकबा 0.37 है0 , खसरा नम्बर 2859 रकबा 0.39 है0 , खसरा नम्बर 2862 रकबा 1.08 है0 , खसरा नम्बर 2881 रकबा 0.09 है0 कुल किता 27 कुल रकबा 6.99 है0 वाके ग्राम तितरिया पटवार हल्का तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से में से वादी को 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वो वादी के उपयोग उपभोग में मजाहमत वैजा नही करे , वादी को जबरन बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य को रहन , दान , बेचान व अन्य हस्तानान्तरण नही करे , के. सी.सी. नही ले। अन्य कोई अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचित समझे प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादीगण मय वकील मदनलाल चौधरी के हाजीर आये वादी व प्रतिवादीगण मय वकील हाजीर अदालत होकर राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान [illegible] इस प्रकार पेश किया कि वादी व प्रति[illegible] पटेलो द्वारा आपस में राजीनामा करवा दिया गया है। वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है। जिसमें वादी व प्रतिवादी का हक निहित है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के पिता प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

संख्या 1 रामेश्वर के नाम दर्ज चली आ रही हैं जिसमें हम प्रतिवादी संख्या 5 से 7 जो प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां है, तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 हमारे सगे भाई है। जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी में हमारा जो हिस्सा निहित है। उसको हम अपनी राजीखुशी से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हक में त्याग करते है। नही हम भविष्य में आपत्ति करेंगें। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को बराबर–बराबर यानि 1/5–1/5 का खातेदार घोषित किया जाता है। तो हमे कोई आपत्ति नही है। न ही हम प्रतिवादीसंख्या 1 को आपत्ति है। राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादग्रस्त आराजी में से वादी संख्या 1 को 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/5 हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जोव तथा इसी अनुसार वादी का वाद डिक्री जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। न ही भविष्य में आपत्ति होगी। तथा हम प्रतिवादीगण कि पूर्ण सहमति है।

राजीनामा पेश होने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर बहस [illegible] वकील की सुनी गयी तो वादी व प्रतिवादी [illegible] मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया [illegible] किया वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम तीतरिया की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 6513, मिलान क्षेत्रफल 2051–70 जमाबन्दी संवत 2031–2034 खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

संख्या 222 रामनारायण पुत्र कालू जाट के नाम की। पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत जमाबंदी व दावा, राजीनामा का परीक्षण किया गया तो पूर्व में वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी संवत 2031–34 के खाता संख्या 222 के अनुसार रामनारायण पुत्र कालू के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो रामनारायण के स्वर्गवास होने पर रामनारायण के वारिस रामेश्वर के नाम विरासत में इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 की पैतृक भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक व हिस्सा निहित है, प्रतिवादी संख्या 5 से 7 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक में जरिये राजीनामा हक त्याग करने से वादग्रस्त भूमि पैतृक भुमि होने व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के द्वारा हक त्याग किये जाने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बराबर बराबर 1/5 हिस्से का वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है। दावा वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर आराजी खाता संख्या 513 के खसरा नम्बर 707 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.07 है0 , खसरा नम्बर 712 रकबा 0.36 है0 खसरा नम्बर 713 रकबा 0. 14 है0 , खसरा नम्बर 715 रकबा 0.27 है0 , खसरा नम्बर 724 रकबा 0.08 है0 , [illegible] 0.03 है0, खसरा नम्बर 787 रकबा 0.49 है0 , [illegible] रकबा 0.35 है0 , खसरा नम्बर 887 रकबा 0.70 है0 , खसरा नम्बर 892 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 923 रकबा 0.25 है0 , खसरा नम्बर 924 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 1003/3794 रकबा 0.08 है0 , खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

1044 रकबा 0.43 है0 , खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.03 है0 ,खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.10 है0 , खसरा नम्बर 1077 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1078 /3796 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 2852 रकबा 0.24 है0 , खसरा नम्बर 2853 रकबा 0.13 है0 , खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 2855 रकबा 0.23 है0 , खसरा नम्बर 2858 रकबा 0.37 है0 , खसरा नम्बर 2859 रकबा 0.39 है0 , खसरा नम्बर 2862 रकबा 1.08 है0 , खसरा नम्बर 2881 रकबा 0. 09 है0 कुल किता 27 कुल रकबा 6.99 है0 वाके ग्राम तितरिया पटवार हल्का तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से में से वादी को 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/5 हिस्से का बराबर बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:59:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू